Oral Answers

[22 November, 2019]

रेलवे के कर्मचारियों की आऊटसोर्सिंग

*70. चौधरी सुखराम सिंह यादवः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अपने विभागों में यह पता लगाने के लिए एक आकलन करवा रहा है कि किस-किस स्थान पर कितने-कितने कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है;

(ख) रेलवे में आउटसोर्स के माध्यम से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इन कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए लागू सामाजिक सुरक्षा लाभ योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे में आउटसोर्स कर्मचारियों का तय किया गया न्यूनतम और अधिकतम वेतन कितना-कितना है और वास्तव में इन कर्मचारियों को कितना-कितना वेतन मिल रहा है?

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी, नहीं।

(ख) रेलों में आऊटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यथा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (अर्थात ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि) का ठेका संबंधी सामान्य शर्तों के जरिए अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ग) ठेका संबंधी सामान्य शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

Outsourcing of employees in railways

[†]*70. CH. SUKHRAM SINGH YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways are conducting an assessment in its Departments to ascertain the places and the number of employees that can be outsourced;

(b) the number of employees working in Railways through outsourcing and the details of social security schemes applicable for benefiting these employees; and

(c) the minimum and maximum salary fixed for outsourced employees in Railways and the actual salary that these employees are getting?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

(b) Information in regard to number of employees working in Railways through outsourcing is being collected and will be laid on the Table of the House.

Adherence to Social Security Schemes (*i.e.* EPFO, ESIC etc.) as administered by Ministry of Labour and Employment is being ensured through General Conditions of Contract.

(c) As specified in "General Conditions of Contract" (GCC), Minimum wages are being paid as per the provisions of Minimum Wages Act, 1948.

चौधरी सुखराम सिंह यादवः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है, उसमें मैंने पूछा कुछ था और उसका जवाब कुछ और ही आया। जानकारी न होने के कारण माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। माननीय सभापति जी, आपको अधिकार है और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न जिनकी जानकारी वे नहीं दे पा रहे हैं, अगर उन्हें स्थगित करके दुबारा पूछेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर पूरा जवाब मिलेगा, तो इसमें जैसा आपका आदेश हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप यह निजीकरण कर रहे हैं, उसके अनुसार रेलों में outsourcing के जरिए भर्तियां हो रही हैं। क्या इसमें सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, जिससे कि ये भर्तियां पुन: विचार करके की जाएं, ताकि सरकारी जो लोग पहले से लगे हुए हैं, उनको पूरा लाभ मिल सके।

SHRI ANGADI SURESH CHANNABASAPPA: Mr. Chairman, Sir, first of all, the hon. Member should remove this from his mind that we are going in for any privatization. We have told this many times. Outsourcing is being done for certain works by the Indian Railways. For those works, whatever employees are taken, the Shramik Kalyan Portal is there. In that, all the detais like, names, address, age, etc., is there. We insist all the Departments in the Railways to upload the names of the people who are doing these outsourced works as per the contract. There is a specified 'General Conditions of Contract' and the minimum wages are being paid as per the provisions of the Minimum Wages Act, 1948. So, they need not worry. In the Shramik Kalyan Portal, care will be taken, especially regarding employees' PF, health, ESI and everything.

चौधरी सुखराम सिंह यादवः सभापति महोदय, सांसद की हैसियत से हम लोगों के लिए पास जारी होता है। उसमें लिखा होता है कि आप किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अभी एक नई ट्रेन "तेजस" चली है। मैं कानपुर से आता हूं और "तेजस" ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तक चलती है। उस ट्रेन में माननीय सांसदों के चलने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। यदि हम लोगों के पास में यह लिखा दिया जाए कि सांसदों को यात्रा करने के लिए "तेजस" भी allow की जाएगी या फिर सांसद को उसमें चलने का अधिकार नहीं है, मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।